रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153] नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 1974/ज्येष्ठ 29, 1896
No. 153] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 1974/JYAISTHA 29, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June 1974

G.S.R. 274(E)/IDRA/30/1/74/10.—Whereas certain draft rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, was published as required by sub-section (1) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), at pages 285-286 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, sub-section (i) dated the 19th February, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, No. G.S.R. 42(E)/IDRA/30/1/74, dated the 19th February, 1974, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 22nd February, 1974;

And whereas no objections and suggestions have been received by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, namely:—

1. These rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (Second Amendment) Rules, 1974.

2. In rule 7 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952 (hereinafter referred to as the said rules),—

(i) sub-rules (2) and (2A) shall be omitted.

(ii) in sub-rule (3), the proviso shall be omitted.

3. From D(I), Form D(II), Form E, Form E(I), Form E(II), Form EE, appended to the said rules shall be omitted.

[No. 13/1/LP-74]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1974

सा० का० नि० 274 (अ)/आई०डी०आर०ए०/30/1/74/10.—यत: औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 42(इ)/आई०डी०आर०ए०/30/1/74, तारीख 19 फरवरी 1974 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 19 फरवरी 1974 के पृष्ठ 285–286 पर प्रकाशित हुए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे जिनका उनसे प्रभावित होना सम्भाव्य था।

और यत: उक्त राजपत्र जनता को 22 फरवरी, 1974 को उपलब्ध कराया गया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनज्ञापन नियम, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. इन नियमों का नाम औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 है।

2. औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 7 में,—

(i) उप-नियम (2) और (2क) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उप-नियम, (3) में परन्तुक का लोप किया जाएगा।

3. इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप घ (i), प्ररूप घ (ii), प्ररूप ङ, प्ररूप ङ (i), प्ररूप ङ (ii), प्ररूप ङङ का लोप किया जाएगा।

[सं० 13/1/एल० पी०–74]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974